

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

देहरादून : दिनांक- ०६ सितम्बर, 2007

विषय- एल०पी०जी० की वितरण व्यवस्था सुचारु करने एवं घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक-1306 /XIX /2006-87/2006, 09 नवम्बर, 2006 का अवलोकन करने का कष्ट करें, । विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से यह तथ्य सामने आया है कि कुछ जनपदों में घरेलू गैस का भारी मात्रा में व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है, फलस्वरूप गैस का कृत्रिम अभाव उत्पन्न किया जा रहा है। यद्यपि हाल ही में कतिपय जनपदों के कुछ क्षेत्रों में एल०पी०जी० की आपूर्ति नियमित न होने के कारण यदा कदा उपभोक्ताओं को गैस की कमी महसूस की गयी। इस सम्बन्ध में एल०पी०जी० से संबंधित अधिकारियों को आपूर्ति सामान्य करने के कड़े निर्देश दे दिये गये हैं, तथापि जनपद स्तर पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एल०पी०जी० की आपूर्ति एवं वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरुपयोग को भी रोका जाय।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनपदों में एल०पी०जी० की आपूर्ति एवं वितरण का दैनिक रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करें। गैस एजेन्सियों की भी नियमित जाँच करें तथा वर्तमान में होटल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरुपयोग को रोकने हेतु यह भी आवश्यक है कि होटल एवं अन्य

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अधिकाधिक व्यवसायिक कनेक्शन दिये जायें। इस हेतु आप जिला पूर्ति अधिकारियों व अन्य अधिकारियों का मासिक लक्ष्य निर्धारित कर दें तथा लक्ष्य के विपरीत हुई प्रगति से आयुक्त खाद्य एवं शासन को मासिक रूप से अवगत कराने का कष्ट करें।

आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय को शीर्ष प्राथमिकता देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।

पत्रांक-५०४(१)/XIX /2006-87/2007 तददिनांकित।

- प्रतिलिपि-1- समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि इस कार्य में किसी जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा शिथिलता बरती गयी तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- 2- श्री आर०के० सिन्हा, राज्य स्तरीय समन्वयक, भारतीय तेल निगम कार्यालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि वे एल०पी०जी० की आपूर्ति सामान्य रखते हुए की गयी आपूर्ति की जनपदवार मासिक सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3- प्रबन्धक निदेशक, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल विकास निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।